राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 (बिन्दु संख्या 83) के अन्तर्गत दायर अपील सख्यां 03/2015–16

मैसर्स अंकल इन्टरप्राईजैज, कोटा

बनाम

मुख्य अभियन्ता, जल ससांधन सम्भाग, कोटा

निर्णय

दिनांक :– 09.10.2015

मैसर्स अंकल इन्टरप्राईजैज, कोटा ने पत्र दिनांक 09.09.2015 से, मुख्य अभियन्ता, जल ससांधन सम्भाग, कोटा की सक्षमता के अधीन अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत, झालावाड द्वारा आमन्त्रित निविदा सूचना संख्या 03 वर्ष 2015–16 के निम्न कार्यो की निविदा में भाग लिया गया।

1. Tender for the work of construction of Samriya Anicut on River Ahu near village Samriya PS Sunel.

कार्य की तकनिकी बिड मे तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मैसर्स अंकल इन्टरप्राईजैज, कोटा को अयोग्य घोषित किये जाने के निर्णय के विरूद्व संवेदक द्वारा राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के समक्ष अपील दायर की एवं नियमानुसार फीस राशि रूपये 2500/– फीस(डी.डी.स. 003067) जमा करवाई गई।

1. **अपीलार्थी द्वारा अपील दायर कर निम्नानुसार प्रार्थना की है :–**

प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य " Tender for the work of construction of Samriya Anicut on River Ahu near village Samriya PS Sunel " की निविदा भरी है जिसमें श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, झालावाड ने पत्र कमांक 4091 दिनांक 21.08.2015 द्वारा प्रार्थी को समान कार्य का अनुभव का हवाला देते हुये अयोग्य घोषित कर दिया है जबकि तकनिकी बिड में एनिकट निर्माण में चाही गयी सभी क्वांटिटी का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है उसमें वो सभी कार्य समान प्रकृति के कार्य है। उक्त कार्य भी चाहे गये कार्य के समान प्रकृति का कार्य है।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अपील स्वीकार कर न्याय प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

उक्त के सबंध मे मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग कोटा ने अवगत कराया है कि उक्त निविदा की तकनीकी बिड मूल्यांकन समिति ने अपनी बैठक दिनांक 27.08.2015 में निविदा में शामिल मैसर्स अंकल इन्टरप्राईजैज, कोटा की तकनीकी योग्यता के सम्बन्ध में तकनीकी बिड डाक्यूमेन्ट के क्लॉज–3.2 (बी) के अनुसार निर्णय लिया, जिसमें मैसर्स अंकल इन्टरप्राईजैज, कोटा को समान प्रकृति एंव जटिलता के कार्यानुभव प्रमाण पत्र के अभाव में अयोग्य घोषित किया गया।

उक्त फर्म द्वारा Construction of auction area (50% main mandi yard KUMS Itawa under vide agg. No. 02/2013-14 amounting to Rs. 163.23 lac completed on 30.04.2014) का कार्यानुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमे निम्नानुसार मात्राए सम्पादित की गई –

1.	Earth work	4205.62 Cum
2.	Plain/RCC work	2798.25 Cum

जबकि तकनिकी बिड के क्लॉज 3.2 (B) के अनुसार निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये गये थे :–

The applicant shall have successful experience as prime contractor in completing at least one contract of a **nature and complexity** comparable to the proposed contract within the last five financial years of value not less than (35% of G-Schedule amount) i.e. Rs. 120.00 lacs this completed contract shall include the quantities of following items mentioned below:-

1. E/W in excavation/Embankment 2900.00 Cum
2. Plain/Reinforcement CC 2344.00 Cum

संवेदक को तकनिकी बिड के क्लॉज 3.2 (बी) के अनुसार "Contract of a **nature and complexity** comparable to the proposed contract" का कार्यानुभव नही होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया।

मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग कोटा द्वारा अपील अधिकारी के समक्ष यह सूचित किया कि, तकनीकी योग्यता मापदण्डों के क्लॉज–3.2 (बी) के नीचे अकिंत नोट में समान प्रकृति के कार्यो को स्पष्ट किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

"In case of earth work excavation for embankment the work will be treated of similar nature both for dams and canals if both the embankments are being formed in the same way i.e. by watering and consolidation. Plan concrete for works such concreting in foundation, DPC, mass plain concreting work done for VRB's Syphons, C.D. works, the works of similar nature will include RCC columns, RCC slabs, Spillway, RCC beams and cantilivers, RCC trough for canals and other structures where reinforced steel has been used. Similarly waste weir building works etc. Where masonry work has been done will be treated of the similar nature."

संवेदक द्वारा तकनीकी बिड में उनके द्वारा मण्डी निर्माण कार्य में किये गये कार्य का कार्यानुभव प्रमाण पत्र सलंग्न किया गया है जो कि समान प्रकृति के कार्यो की श्रेणी में नही आता है। इस कारण संवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र स्वीकार योग्य नही है।

1. **अपील के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये अभिलेख/साक्ष्यों के परिक्षण उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि** मैसर्स अंकल इन्टरप्राईजैज, कोटा द्वारा तकनीकी बिड के साथ संलग्न कार्यानुभव प्रमाण पत्र क्लॉज–3.2 (बी) के अनुरूप "Contract of a **nature and complexity** comparable to the proposed contract" नही होने के कारण मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, कोटा द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। जो सही है।

अतः अपीलार्थी मैसर्स अंकल इन्टरप्राईजैज, कोटा द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील निरस्त की जाती है।

28.X.15

(अजिताभ शर्मा)
प्रथम अपील अधिकारी
शासन सचिव
जल संसाधन विभाग
राजस्थान जयपुर

कमांक F.2(100)ASI/15/ 4312 — 4315 दिनांक :– 29/10/2015

निर्णय की प्रति निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. मुख्य अभियन्ता, जल ससांधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, जल ससांधन सम्भाग, कोटा।
3. मैसर्स अंकल इन्टरप्राईजैज, कोटा, मकान नम्बर–146, न्यू गोपाल विहार, पुलिस लाईन कोटा।
4. अधीक्षण अभियन्ता PMU जल संसाधन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्णय तत्काल राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करवाया जावे।

28.X.15

(अजिताभ शर्मा)
प्रथम अपील अधिकारी
शासन सचिव
जल संसाधन विभाग
राजस्थान जयपुर

AD(IT)
5.11.15